



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 22.01.2025

विषय:- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त अश्वनी जायसवाल थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 26/2025 धारा 504,506,376, भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अश्वनी जायसवाल पुत्र गुप्तेश्वर जायसवाल निवासी बधुबन वाटिका के सामने शिवदासपुर लहरतारा थाना मंडुवाडीह वाराणसी को आज दिनांक- 22.01.2025 को समय करीब 13.30 बजे बाटा मोड़ लहरतारा से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 14.01.2025 को वादिनी मुकदमा ने अभियुक्त अश्वनी जायसवाल के विरुद्ध शादी करने की बात कहकर अपने झांसे में लेकर शारीरिक सम्बन्ध बनाकर शादी से इंकार करने, गाली गलौज व धमकी देने तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर थाना मण्डुवाडीह में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसके विवेचना उ.नि. पवन कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अश्वनी जायसवाल पुत्र गुप्तेश्वर जायसवाल निवासी बधुबन वाटिका के सामने शिवदासपुर लहरतारा थाना मंडुवाडीह वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 22.01.2025 को समय करीब 13.30 बजे, बाटा मोड़ लहरतारा से।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 026/2025 धारा 504,506,376 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST एक्ट थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ.नि. पवन कुमार, हे.का दयाशंकर शर्मा, का. धर्मेन्द्र भारती थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी